

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की  
धारा-4 (1) ख (12)

मैनुअल संख्या-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि  
और ऐसे कार्यक्रमों से फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583-ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफैक्स नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल [bridcul@gmail.com](mailto:bridcul@gmail.com) पर सूचित करें ।

## मैनुअल-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों से फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं आदि को समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रायोजित धनराशि एवं अन्य सहायता धनराशि अवमुक्त की जाती है। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) के अधिकतर कार्य निर्माण सम्बन्धी परियोजनाएं/पुर्ननिर्माण/सौन्दर्यकरण आदि होते हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध विभिन्न विभागों, संगठनों के साथ-साथ आम जनता से भी होता है। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) द्वारा एक जिम्मेदार कम्पनी होने के कारण परियोजना निर्माण क्षेत्रों में सामाजिक विकास के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) द्वारा संचालित परियोजनाओं के निकट अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जा रहा है। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल इत्यादि सुविधाओं के विकास हेतु निर्माण कार्यों के माध्यम से अपना सहयोग दे रहा है।